ालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

ा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
/15	7.7.15	28.9.22

उनवान

भुटटू खां पुत्र भूरिया पत्नी सरदार खां पुत्री कालू जाति मेव निवासी बेरला तहसील ाजारा जिला अलवर राज0।

. बल्लू खां पुत्र भूरिया पत्नी सरदार खां पुत्री कालू जाति मेव निवासी तावडू जिला ेवात/हरियाणा

–वादीगण

बनाम

1. जुम्मा खां पुत्र कालू
2. सम्पत पुत्र कालू
3. सुभानी पुत्र कालू जाति मेव निवासी नॉगल मोहम्मदपुर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर/राज0।
4. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार लेण्ड होल्डर किशनगढ़बास, अलवर।

–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकराहक मय हुक्मइम्मतनाई दवामी मशअरे

उपस्थितिः– श्री भुवनेश तिवाडी वादीगण की ओर से।
प्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

वकील वादीगण ने वाद पेश किया है जिसके सुक्ष्म कर वृतांत निम्न प्रकार से है मिन वादीगण के प्रतिवादी नंबर 1 व 2 सगे मामा हैं। वादीगण की माँ भूरिया शिमरू की पोती थी और कालू की पुत्री थी। जिसका शिमरू व कालू की सम्पत्ति में शुरू से ही हक था।शिमरू के तीन लड़के क्रमशः कालू, जसमाल व देवसिंह हुए, जिसमें जसमाल व देवसिंह लावल्द फोत हो गए। इस तरह शिमरू की जायदाद का तन्हा मालिक कालू हुआ। कालू के दो लड़के व दो लड़की हुई। जब कालू फोत हुआ तो प्रतिवादीगण 1 व 2 ने बमिल्लत तत्कालीन पटवारी रेवेन्यू अधिकारी व सरपंच से मिलकर तन्हा अपने नाम विरासत का इंतकाल कालू चढ़वा लिया, जबकि कालू कि विरासत वादीगण 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 समभाग 1/4, 1/4, 1/4 को पहुंचती थी।शिमरू व उसके बाद कालू व जसमाल व देवसिंह की आराजी उपरोक्त वादीगण को 1/4 भाग वो 1/4, 1/4, 1/4

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को विरासत प्राप्त हुई है। वो इसी प्रकार आराजी दित पर काबिज वो दाखिल है वो इसी प्रकार वादीगण यअपने आपको विवादित ाजी के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी हैं।

प्रतिवादीगण वो उनके बुजुर्गों ने इन्तकाल संख्या 8 दिनांक 14–03–76 व इन्तकाल ख्या 152 दिनांक 6–05–86 गलत आधार पर अपने नाम दर्ज वो स्वीकार कराया है जो तकालात हकूक वादीगण के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है, नाकाबिल पाबंदी है मन्सूख ये जाने योग्य है, वो इन इंतकालात के आधार पर जो गलत इन्द्राजात कराये हैं वो लत इन्द्राज हकूक वादीगण के विरूद्ध बातिल व बेअसर है नाकिबिल पाबंदी है मन्सूख ये जाने योग्य है।

. वादीगण अनपढ़ व्यक्ति है। कानून की जानकारी नहीं है। वो तो यही समझते हे कि वो आराजी पर काबिज हैं। रिकॉर्ड में अमल होता चला आ रहा होगा। दिनांक –7–2015 को हाल जमाबंदी की नकल पटवारी हल्का से किसान कार्ड बनवाने हेतु प्राप्त की, वो गलत इन्द्राज बहक प्रतिवादीगण की वादीगण को सर्व प्रथम जानकारी हुई। जिस गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने के लिए प्रतिवादीगण को दिनांक 06–07–2015 को कहा तो वो साफ इंकार हो गये। वो वादीगण को ऐलानिया धमकी दी है कि वो वादीगण को जबरन बेदखल करेंगे। वो आराजी को दीगर लोगों को बेचान करेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने मन्सूखों में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजहीद हानि होगी। अतः वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे–

अ. घोषित किया जावे कि आराजी खसरा नम्बरान 172 रकबा 0.14हे0, 202 रकबा 0. 2300हे0, 203/0.2500हे0, 284/0.1300हे0, किता 4 रकबा 0.7500हे0 का 1/4 भाग, व खसरा नंबर 71/0.3200हे0 का 1/4 भाग, व खसरा नंबर 171/0.700हे0, 201/0. 1200हे0, 283/0.2700हे0, 416/0.1400हे0, 417/0.1000हे0, 418/0.1100हे0, 508/0. 0800हे0, किता 7 रकबा 0.8900हे0 का 1/4 भाग खसरा नंबर 69/0.0500हे0 गैर मुमकिन चाह का 1/4 भाग व खसरा नंबर 277/0.2400हे0, 391/0.2300हे0, ख0न0 394/0. 2400हे0, खसरा नंबर 399/0.2500हे0, किता 4 रकबा 0.9600हे0 का 1/4 भाग दर 68/76 भाग व खसरा नंबर 171/529 रकबा 0.0700हे0, 201/530 रकबा 0.1300हे0, 283/531 रकबा 0.2700हे0, 416/535 रकबा 0.1400हे0, 417/534 रकबा 0.0900हे0, 418/533 रकबा 0.1200हे0, 508/532 रकबा 0.0700हे0 कुल किता 7 रकबा 0.8900हे0 का 1/4 भाग के समभाग के खातेदार काश्तकार हैं।

वो इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम का अमल करने के आदेश फरमाये जावें।

रार दिया जावे कि इंतकाल नंबर 8 दिनांक 14–03–76 व इंतकाल नंबर 152 दिनांक 05–1986 वादीगण के हकूकों के विरूद्ध बातिल व बेअसर है जो अमल प्रतिवादीगण 1 . का आराजी में आया है गलत है काटा जाकर वादीगण 1/4 भाग व प्रतिवादीगण 1 ायत 4 1/4, 1/4, 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार हैं वो इसी प्रकार राजस्व ॉर्ड में अमल करने के आदेश फरमाये जावे।

जर्ये हुक्मइम्तनाइदवामी प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबंद किया जावे कि वो वादित आराजी उपरोक्त से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे कब्जे काश्त में जाहमत पैदा नहीं करे। ना ही आराजी उपरोक्त को जर्ये रहन बय हिबा लीज इत्यादि के ारा दीगर लोगों को बेचान करे, नव निर्माण नहीं करे। रिकॉर्ड वो मौका की यथास्थिति नाये रखे।

. खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

. दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत मुनासिब हो बख्शी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण एक लगायत 3 बावजूद तामील उपस्थित नही हुए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रतिवादी सं0 4 ने दावे को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। वादी ने साक्ष्य हेतु स्वयं का शपथ पत्र पेश किया । साक्ष्य ली गई तथा दस्तावेजात कलमबद्व कराये दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2070 की छाया प्रति, नकल इंतकाल प्रदर्श–1, नकल इंतकाल प्रदर्श–2, नकल इंतकाल सं0 86 प्रदर्श–3, नकल इंतकाल –86 प्रदर्श– 4, नकल इंतकाल 97 प्रदर्श–5 पेश किये।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न जबाब सरकार ने बताया कि हाल राजस्व रिकार्ड में जो प्रविष्ट प्रतिवादीगण के नाम हुई है वो सही है। साथ यह भी बताया है कि यदि वादीगण कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश करता है तो दावा डिक्री किया जा सकता है। लेकिन वादीगण ने केवल इंतकाल सं0 8 दिनांक 14.3.76 व इंतकाल 152 दिनांक 6.5.86 में पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया हुआ पेश किया है। चूकि इंतकाल की अपील वादी को करनी चाहिए थी। है। वादीगण ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किया पता चल सके कि वादीगण व प्रतिवादीगण के बूर्जगान के हिस्से में कितनी – कितनी आराजी थी। क्या जो सजरा वाद मे पेश किया है। वो सही है साबित नही होता । वादीगण की माता द्वारा कभी किसी प्रकार का न्यायालय में उक्त आराजी के बाबत कोई वाद दायर नही

। वादीगण ने अपनी माता के स्वर्गवास बाद स्वार्थपूर्ण दृष्टि से वाद दायर किया जाना ा होता है। एवं वादीगण की माता के द्वारा अपने जीवनकाल मे किसी भी तरह से ाल को चुनौती नही देना यह स्पष्ट करता है कि इंतकाल उनकी सहमति से दर्ज ा गया है।इंतकाल के लगभग 30–40 वर्ष बाद उनके पुत्रों के द्वारा इंतकाल को विधि द्ध बताना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। एवं उनके द्वारा इसके समर्थन मे कोई ठोस त/साक्ष्य पेश नही करना भी इंतकाल के विधि विरूद्व होने के सम्बन्ध में ठोस सबूतो अभाव व वादीगण की माताओ के द्वारा अपने जीवनकाल में इंतकाल को चुनौती नही । के कारण यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योंग्य नही पाता है।

तः आदेश है किः–

वाद वादीगण बाबत आराजी खसरा नम्बरान 172 रकबा 0.14हे0, 202 रकबा 0.300हे0, 203/0.2500हे0, 284/0.1300हे0, किता 4 रकबा 0.7500हे0 का 1/4 भाग, व ब्रसरा नंबर 71/0.3200हे0 का 1/4 भाग, व खसरा नंबर 171/0.700हे0, 201/0.200हे0, 283/0.2700हे0, 416/0.1400हे0, 417/0.1000हे0, 418/0.1100हे0, 508/0.0800हे0, किता 7 रकबा 0.8900हे0 का 1/4 भाग खसरा नंबर 69/0.0500हे0 गैर मुमकिन चाह का 1/4 भाग व खसरा नंबर 277/0.2400हे0, 391/0.2300हे0, ख0न0 394/0.2400हे0, खसरा नंबर 399/0.2500हे0, किता 4 रकबा 0.9600हे0 का 1/4 भाग दर 68/76 भाग व खसरा नंबर 171/529 रकबा 0.0700हे0, 201/530 रकबा 0.1300हे0, 283/531 रकबा 0.2700हे0, 416/535 रकबा 0.1400हे0, 417/534 रकबा 0.0900हे0, 418/533 रकबा 0.1200हे0, 508/532 रकबा 0.0700हे0 कुल किता 7 रकबा 0.8900हे0 का 1/4 भाग वाके ग्राम मोजा नांगल तहसील किशनगढबास जिला अलवर सिद्व नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

ायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

वा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
/15	7.7.15	28.9.22

उनवान

भुटटू खां पुत्र भूरिया पत्नी सरदार खां पुत्री कालू जाति मेव निवासी बेरला तहसील ाजारा जिला अलवर राज0।

. बल्लू खां पुत्र भूरिया पत्नी सरदार खां पुत्री कालू जाति मेव निवासी तावडू जिला ावात/हरियाणा

–वादीगण

बनाम

1. जुम्मा खां पुत्र कालू
2. सम्पत पुत्र कालू
3. सुभानी पुत्र कालू जाति मेव निवासी नॉगल मोहम्मदपुर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर/राज0।
4. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार लेण्ड होल्डर किशनगढ़बास, अलवर।

–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकराहक मय हुक्मइम्मतनाई दवामी मशअरे

उपस्थितिः– श्री भुवनेश तिवाडी वादीगण की ओर से।
प्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही।

पर्चा डिक्री

वाद–वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगीः–

वाद वादीगण बाबत आराजी खसरा नम्बरान 172 रकबा 0.14हे0, 202 रकबा 0.2300हे0, 203/0.2500हे0, 284/0.1300हे0, किता 4 रकबा 0.7500हे0 का 1/4 भाग, व खसरा नंबर 71/0.3200हे0 का 1/4 भाग, व खसरा नंबर 171/0.700हे0, 201/0.1200हे0, 283/0.2700हे0, 416/0.1400हे0, 417/0.1000हे0, 418/0.1100हे0, 508/0.

हे0, किता 7 रकबा 0.8900हे0 का 1/4 भाग खसरा नंबर 69/0.0500हे0 गैर मुमकिन का 1/4 भाग व खसरा नंबर 277/0.2400हे0, 391/0.2300हे0, ख0न0 394/0. 0हे0, खसरा नंबर 399/0.2500हे0, किता 4 रकबा 0.9600हे0 का 1/4 भाग दर /76 भाग व खसरा नंबर 171/529 रकबा 0.0700हे0, 201/530 रकबा 0.1300हे0, /531 रकबा 0.2700हे0, 416/535 रकबा 0.1400हे0, 417/534 रकबा 0.0900हे0, /533 रकबा 0.1200हे0, 508/532 रकबा 0.0700हे0 कुल किता 7 रकबा 0.8900हे0 1/4 भाग वाके ग्राम मोजा नांगल तहसील किशनगढबास जिला अलवर सिद्ध नही न के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन रगे । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

प्रस्तावित उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो नजरी नक्शा डिक्री का ज रहेगा, खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। त्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)